

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

15 / 2024
08.11.2024

जरिये बजरंग लाल सोन्दल्या, प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा जिला टोंक

— प्रार्थी

बनाम

मै० कैलाश चन्द गुप्ता मैसर्स कैलाश मिष्ठान भण्डार मालपुरा टोक

— अप्रार्थी

जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:—

- 1— परोकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
- 2— अप्रार्थी — स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 26.12.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 28.10.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा मै. श्री कैलाश चन्द गुप्ता मैसर्स कैलाश मिष्ठान भण्डार मालपुरा पहुँचा। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री कैलाश चन्द गुप्ता द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है—

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
	085127 S	HP	14.2	15.4	25.00	9.6
	917 P	HP	14.2	15.6	26.00	10.4

148545 T	HP	14.2	15.6	20.00	4.4
959421 T	HP	14.2	15.6	29.80	14.2
					38.6 KG

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलिण्डरों मय 38.6 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 28.10.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा मै. श्री कैलाश चन्द गुप्ता मैसर्स कैलाश मिष्ठान भण्डार मालपुरा पहुँचा। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री कैलाश चन्द गुप्ता द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 38.6 KG एलपीजी गैस को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु श्री बापू गैस एजेन्सी (शहरी वितरक) के प्रतिनिधि श्री नन्द किशोर सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 38.6 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

परोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 28.10.2024 के अनुसार मै० कैलाश चन्द गुप्ता मैसर्स कैलाश मिष्ठान भण्डार मालपुरा टोक कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच

करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 04 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर मिटाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
	085127 S	HP	14.2	15.4	25.00	9.6
	917 P	HP	14.2	15.6	26.00	10.4
	148545 T	HP	14.2	15.6	20.00	4.4
	959421 T	HP	14.2	15.6	29.80	14.2
						38.6 KG

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर करण, नन्दकिशोर तथा कैलाश के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनाम पर भी करण, नन्दकिशोर तथा कैलाश के हस्ताक्षर हैं तथा बाबू गैस एजेंसी (शहरी वितरक) के प्रतिनिधि श्री नन्दकिशोर सैनी के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मिटाई बनाने का कार्य कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 04 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 38.6 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

()
(डॉ. सोनिया झा)
जिला कलेक्टर, टोंक